न्यायालय उप तहसीलदार हरसाणी, जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का गिराब	बनाम	जगदीश पुत्र सुजानाराम नि.चाहड़ियाली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 117/2024

–:निर्णय:–

पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पटवारी हल्का गिराब उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी ने ग्राम गंगापुरा के खसरा नंम्बर 953 क्षैत्रफल कमशः 47.5910 हैक्टेयर किस्म गै.मु. धोरा में 06.00 हैक्टेयर पर तारवन्दी कर कब्जा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का गिराब की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिकमण करने पर अतिकमी घोषित किया जाता है। उक्त अतिकमित राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही विप्रार्थी पर राशि 50 अक्षरे पचास रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसुल किया जावे।

पटवारी हल्का गिराब को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त राजकीय भूमि में से भौतिक रूप से बेदखल कर राजकीय भूमि को कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पालना पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार हरसाणी (बाड़मेर)

उप तहसीलदार हरसाणी
उप तहसीलदार हरसाणी